(ओ.आई.एच.)

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2414
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत संस्वीकृत आवास

2414. डॉ. राजेश मिश्रा:
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण के अंतर्गत स्वीकृत घरों की संख्या कितनी है और उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या उक्त योजना लक्षित लाभार्थियों की पहचान करने में अपने अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा कर रही है;
(ग) पीएमएवाई-ग्रामीण के नए चरण के अंतर्गत बिहार में स्वीकृत घरों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या योजना पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में अपने अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) : प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी के विस्तार को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण के तहत स्वीकृत मकानों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (घ) : जी हां,पीएमएवाईजी के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता उन लोगों के लिए हो जो वास्तव में वंचित हों और इनका चयन भी वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य हो तथा पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी),2011 के

आंकड़ों में दिए गए आवास वंचन मापदंडों का उपयोग करके की जाती है। एसईसीसी डेटा परिवारों में आवास से संबंधित विशिष्ट वंचना को दर्शाता है।इस डेटा का उपयोग करके बेघर परिवार और 0, 1, और 2 कमरे वाले कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को अलग अलग सूची में रखा गया है और उन्हें लक्षित किया गया है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों का अंतिम चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मापदंडों और बहिर्वेशन मानदंडों तथा संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित होता है। एसईसीसी डेटाबेस के माध्यम से उपलब्ध पात्र लाभार्थियों की संख्या (पहले चरण अर्थात वर्ष 2023-24 तक) वर्तमान में 2.04 करोड़ (लगभग) है। सरकार ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक आवास+ सर्वेक्षण किया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके जिन्होंने दावा किया था कि वे एसईसीसी 2011 के तहत छूट गए थे और इस तरह संभावित लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई थी। लगभग 91 लाख (2.95 करोड़ - 2.04 करोड़) के अंतर को पाटने के लिए आवास+ डेटा का उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09.08.2024 के अनुमोदन के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण मकानों का निर्माण किया जाना है। आवास+ 2018 की अंतिम सूची के शेष पात्र लाभार्थियों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने और 2 करोड़ मकानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ,पीएमएवाई-जी के संशोधित बहिर्वेशन मानदंड के अनुसार अतिरिक्त मकानों की पहचान के लिए वर्ष 2024 में एक राष्ट्रव्यापी आवास+ सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

(ग): वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएवाई-जी के नए चरण के तहत बिहार में स्वीकृत मकानों का जिलावार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध -I

"पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत मकानों" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2414 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण के तहत स्वीकृत **मकानों** का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य**	**राज्य द्वारा स्वीकृत मकान**
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0
2	असम	1,71,593	1,62,066
3	बिहार	2,43,903	2,35,236
4	छत्तीसगढ़	8,61,931	6,51,377
5	गोवा	0	0
6	गुजरात	2,99,011	2,17,282
7	हरियाणा	77,058	6
8	हिमाचल प्रदेश	92,364	68,983
9	जम्मू और कश्मीर	0	0
10	झारखंड	1,13,195	51,722
11	केरल	1,97,759	19,189
12	मध्य प्रदेश	3,68,500	3,52,546
13	महाराष्ट्र	6,37,089	56,3112
14	मणिपुर	7,000	0
15	मेघालय	0	0
16	मिजोरम	0	0
17	नागालैंड	0	0
18	ओडिशा	1,24,304	1,03,765
19	पंजाब	63,985	15,759
20	राजस्थान	1,56,420	1,55,099
21	सिक्किम	0	0
22	तमिलनाडु	68,569	11,418
23	त्रिपुरा	0	0
24	उत्तर प्रदेश	70,834	44,232
25	उत्तराखंड	0	0
26	पश्चिम बंगाल	0	0
27	अंडमान और निकोबार	0	0
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0
29	लक्षद्वीप	0	0
30	पुदुचेरी	0	0
31	आंध्र प्रदेश	684	492

32	कर्नाटक	2,26,175	76,414
33	तेलंगाना	0	0
34	लद्दाख	0	0
	कुल	**37,80,374**	**27,28,698**

***दिनांक* 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार आवाससॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार**

अनुबंध -II

"पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत मकानों" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2414 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएवाई-जी के नए चरण के तहत बिहार में स्वीकृत मकानों का जिलेवार विवरण इस प्रकार है:

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**राज्य द्वारा स्वीकृत मकान**
1	अररिया	10,866
2	अरवल	2,197
3	औरंगाबाद	6,443
4	बांका	4,801
5	बेगूसराय	8,125
6	भागलपुर	7,392
7	भोजपुर	6,811
8	बक्सर	3,756
9	दरभंगा	8,570
10	गया	8,887
11	गोपालगंज	5,713
12	जमुई	2,849
13	जहानाबाद	1,434
14	कैमूर (भभुआ)	3,130
15	कटिहार	4,828
16	खगरिया	4,154
17	किशनगंज	4,872
18	लखीसराय	2,088
19	मधेपुरा	6,051
20	मधुबनी	13,940
21	मुंगेर	2,552
22	मुजफ्फरपुर	922
23	नालन्दा	5,413
24	नवादा	6,392
25	पश्चिम चंपारण	8,637
26	पटना	7,246

27	पूर्वी चंपारण	15,133
28	पूर्णिया	5,970
29	रोहतास	4,902
30	सहरसा	3,105
31	समस्तीपुर	11,961
32	सारण	10,108
33	शेखपुरा	1,777
34	शिवहर	1,994
35	सीतामढ़ी	9,530
36	सिवान	6,964
37	सुपौल	6,222
38	वैशाली	9,501
	कुल	**2,35,236**

***दिनांक* 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार आवाससॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार**

*****